हीराकुंड परियोजना चर्चा में क्यों हैं?

- महानदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक के दक्षिण में स्थिति बस्तर पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका कैचमेंट एरिया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र में है।
- यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी और और ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ- तेल नदी, जोंक नदी, इब नदी, मांड नदी, शिंवनाथ नदी, हसदेव नदी एवं बोराई नदी हैं।
- महानदी भी अन्य नदियों की तरह अपनी बाढ़ की विभिषिका के लिए जानी जाती रही है। वर्ष 1937 में इस नदी में आई बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई थी, जिसके बाद एम विश्वेश्वरैया द्वारा इस बांध (हीराकुंड बांध परियोजना) बनाने का विचार रखा गया। इसकी नींव 15 मार्च 1946 को ओडिशा के गवर्नर सर हावथ्रोन लुईस द्वारा रखी गई थी। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने वर्ष 1957 में हीराकुंड बांध का अधिकारिक उद्घाटन किया गया।
- हीराकुंड की पूरी परियोजना में 3 बांध हैं- हीराकुंड बांध, टीकरापारा बांध, नारज बांध। यह ओडिशा राज्य के संबल पुर जिले में बनाया गया है।
- हीराकुंड न केवल सबसे लंबा मिट्टी का बांध है बल्कि एशिया के सबसे बड़े कृत्रिम झील में से एक है। इसके बांध की कुल लंबाई 25. 8 किमी. है। मुख्य बांध बाईं ओर लामडूंगरी पहाड़ी से लेकर 4.8

किमी. दूर चंदीली पहाड़ी तक विस्तृत है। इसके दोनों तरफ दो अवलोकन मिनार हैं, गांधी मीनार व नेहरू मीनार हैं। इसकी ऊँचाई 61 मीटर और लंबाई 4801 मीटर है।

- इस परियोजना से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत निर्माण होता है। यहां बुरला और चिपलिया में दो पॉवर हाउस बिजली उत्पादन के लिए लगाये गये हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 34.7.5 मीटर है।
- हीराकुंड परियोजना से जहां कुछ सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुए वहीं इससे लगभग 111 गांव डूब गये, लगभग 22000 परिवार प्रभावित हुए जबकि लगभग 19000 परिवार विस्थापित हो गये। यहां से विस्थापित हुए लोगों का मुद्दा लंबे समय से बना हआ है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग **(NHRC)** ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को 6 दशक पहले महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में नोटिस जारी किया है।
- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-**
- यह एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा शक्ति प्रदान की गई थी जिसमें दो बार (वर्ष 2006 और 2019) में संशोधन किया जा चुका है।

- इसका मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन है। जिसके तहत यह जीवन से संबंधित अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
- इसके पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ हैं और यह इस मामले में न्यायिक स्वरूप के तहत कार्य करती है। यह मानवाधिकार की शिकायत की जांच करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियों को उपयोग कर सकती है।
- इस आयोग की सीमा यह है कि मानवाधिकार के उल्लंघनकर्ता को यह दंडित नहीं कर सकता है, और न ही पीडित को कोई मुआवजा दिलवा सकता है। इसके कार्य मुख्यतः सिफारिशी होते हैं, अर्थात बाध्यकारी नहीं होते हैं। इतना जरूर है कि सिफारिश प्राप्त होने के एक माह के भीतर की गई कार्रवाई के विषय में सूचित करना होता है।
- निजी क्षेत्र द्वारा किये गये कार्य पर यह कार्रवाई नहीं कर सकता तथा सशस्त्र बलों के विषय में इसकी शक्तियाँ सीमित है।
- इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। **CJI** या कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश रहा व्यक्ति ही अध्यक्ष बन सकता है।
- अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष,

राज्यसभा उपसभापित, दोनों सदनों के विपक्षके नेता और गृहमंत्री शामिल होते हैं।

- कार्यकाल तीन वर्ष की अवधिक या 70 वर्ष की आयु होता है। हालांकि राष्ट्रपति पहले भी हटा सकता है।

most trusted since 2003

अरावली बचाओ आंदोलन

- अरावली पर्वत गुजरात के खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान से दिल्ली के दक्षिणी भाग तक विस्तृत है। इसका विस्तार 4 राज्यों-गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली में हैं इसकी लंबाई 692 किलोमीटर, जिसका 80 प्रतिशत भाग राजस्थान में है।
- इसे दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः जरगा रेंज, हर्षनाद रेंज व दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है।
- इसका सर्वोच्च शिखर सिरोही जिले में स्थित गुरूशिखर है जो माउंट आबू का भाग है। इसका पश्चिमी भाग मारवाड़ एवं पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है।
- इसकी उत्पत्ति प्री-कैंम्ब्रियन काल (लगभग 45000 लाख वर्ष पूर्व) में हुई थी। यह संसार के प्राचीन पर्वतों में से एक है। इसका अपक्षय एवं अपरदन होने की वजह से इसकी ऊँचाई कम हो गई है और इस समय यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है।
- इसकी औसत ऊँचाई 930 (**NCERT**-1000 मीटर) है जो दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है।
- जोधपुर का मेहरानगढ़ अजमेर का तारागढ़ और और दिल्ली का राष्ट्रपति भवन इसी पर्वत श्रृंखला के ऊपर बने हुए है।
- इससे कई महत्वपूर्ण नदियों-बनास, लूनी, साखी एवं साबरमती का उद्गम होता है।

- **महत्त्व-**

1. जलविभाजक एवं जलवायु विभाजक एवं नियंत्रक
2. मरुस्थलीकरण पर लगाम
3. समृद्ध जैविविधता- 300+ स्थानीय पौधे और 120 पक्षीप्रजातियाँ
4. भूजल पुनर्भरण
5. प्रदूषण पर नियंत्रण-दिल्ली के प्रदूषण के लिए फेफडे का कार्य करती है।
6. माउंट आबू और उदयपुर जैसे पर्यटक स्थलों का विकास।

- वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 1967-68 के बाद से राजस्थान में अवैध खनन के कारण अरावली रेंज का लगभग एक चौथाई हिस्सा नष्ट हो चुका है। यहां खनन मुख्य रूप से तांबा, सीसा, जस्ता, ग्रेनाइट लाइमस्टोन, मार्बल, चूना पत्थर आदि का घेरा है।
- वर्ष 2018 में राजस्थान सरकार ने भी यह स्वीकार किया की अरावली की 138 में से 28 पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं।
- वर्ष 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन से जुड़े 82 लाइसेंस यह कहते हुए रद्द कर दिये थे कि बिना पर्यावरणीय मंजूरी और अध्ययन के बिना खनन की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

- इस प्रकार के कई अन्य आदेशों में सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद इन क्षेत्रों में अवैध खनन जारी है, जिसके कारण यहां का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
- इससे अरावली के पास के क्षेत्रों में वनों की सघनता घटी है, जलस्तर में कमी आई है, जैवविविधता घटी है। अरावली रेंज की बनास, लूनी और साहिबी और सखी जैसी कई नदियां सूखने के कगार पर पहुँच गई हैं।
- हाल ही में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली पर्वत में उत्खनन करने की अनुमती दी जाये।
- हरियाणा सरकार के इस अपील के बाद से पहले से चल रहे अरावली बचाओं आंदोलन को गति मिली है।
- हरियाणा पहले से ही वनाभाव और मरुस्थलीकरण की समस्या से जूझ रहा है। हरियाणा में कुल वन आवरण का लगभग 3.59 प्रतिशत वन आवरण (2017) है जो भारत के किसी राज्य की तुलना में सबसे कम है।